18–10–2022

आवेदकगण/आरोपीगण व्दारा श्री विजय नागर अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक/राज्य व्दारा श्री एस.एस. मावई अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदकगण/आरोपीगण के धारा 439 दं0प्र0सं0 के प्रथम नियमित जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

थाना बेटमा के अप0कं0 292/2022 धारा 294, 324, 326, 506, 120बी भा.द.वि की केस डायरी व अधीनस्थ न्यायालय की रिमांड पत्रावली प्राप्त।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये।

आवेदकगण/आरोपीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण दिनांक 17.10.2022 से जेल में निरूद्ध है। तथाकथित अपराध को आरोपी ने कारित नहीं किया है तथा प्रकरण में विचारण चाहते हैं, विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण को मात्र राजनैतिक दबाव व प्रभाव, रंजीशवश अभियुक्त बनाया गया है। सदर प्ररण के सह अभियुक्तगण विरेन्द्र, माखन व अजय की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा चुकी होकर सदर अभियुक्तगण का अपराध सह अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। आवेदकगण/ आरोपीगण अत्यधिक समय तक न्यायिक निरोध रहे तो उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आवेदकगण उक्त पते के स्थाई निवासी होकर उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति इंदौर जिले में ही स्थित है ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् कहीं पर भी भाग कर जाने वाले नहीं है, न ही किसी भी प्रकार से साक्षियों को प्रभावित करेंगे तथा आवेदकगण माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेशों व निर्देशों का पूर्णरूप से परिपालन करेंगे। प्रत्येक पेशी दिनांक पर नियत समय पर उपस्थित रहेंगे। आवेदकगण/आरोपीगण का अपराध आजन्म कारावास या मृत्युदंड के दंडादेश से दंडनीय नहीं है। आवेदकगण माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी योग्य जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार एवं सहमत हैं। आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदकगण की ओर से राकेश ने शपथ पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि आवेदक महेश उसके परिवार का सदस्य व आवेदक राहुल उसका मित्र है। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दप्रसं के तहत का प्रस्तुत किया है। इसके अलावा किसी अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न तो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक व्दारा उक्त आवेदन पर आपत्ति की गई है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक व्दारा कोई आपत्ति नहीं की गई है कि आवेदकगण/आरोपीगण का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र नहीं है। इस संबंध में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं कि पूर्व में कोई जमानत आवेदन

किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से निराकृत हुआ है या लंबित है। जिससे कि यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन प्रतीत होता है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार दिनांक 22.08.2022 को फरियादी विशाल उर्फ भोला सोलंकी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि वह देपालपुर में रहता है तथा बस स्टेण्ड देपालपुर में श्याम रेस्टोरेंट के नाम से चाय नास्ते की दूकान चलाता है। दिनांक 13.08.2022 को रात करीबन 10:00 बजे वह और उसके चाचा का लड़का धीरज उसकी दूकान पर बैठे थे तभी महेश बड़वाया, राहुल बाथम और कान्हा बाथम उसकी दूकान पर आए, चाय पी तभी जाते–जाते महेश ने फरियादी के बाल पकड़ कर खींच दिए तो उसने महेश से कहा कि मैं तुमसे मजाक नहीं करता हूं तो तुमने मेरे बाल क्यों खींचे तो महेश, राहुल और कान्हा उससे बोले तू हमको जानता नहीं है हम कुछ भी कर सकते हैं। फरियादी ने उन्हें बदतमीजी करने से मना किया तो महेश, राहुल व कान्हा बोले तू अब हमसे मुंह चलायेगा रूक तुझे कल बताते हैं बोलकर चले गए। दूसरे दिन शाम करीबन 4 बजे की बात है फरियादी अपनी मोटरसायकल से अपने घर जा रहा था जैसे ही राजेन्द्र सेठ की सरिये की दूकान के सामने बेटमा रोड देपालपुर पहुंचा पीछे से उसकी मोटरसायकल में छोटू उर्फ कृष्णा बंजारे ने अपनी मोटरसायकल से टक्कर मार कर उसे गिरा दिया। वहां पर छोटू उर्फ कृष्णा के साथ अजय, माखन, वीरेन्द्र उर्फ विक्रम भी थे और फरियादी को मां बहन की नंगी नंगी अश्लील गांलिया देते हुए बोले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई महेश भाई, राहुल भाई, कान्हा भाई से ज्यादा मुंह चलाने की जो गालियां मुझे व आसपास सुनने वालों को बुरी लगी तो फरियादी विशाल ने उन्हें गांलियां देने से मना किया तो छोटू उर्फ कृष्णा ने चाकू से विशाल को बाएं पुट्ठे पर मारा, अजय ने चाकू से दाहिने पैर के घुटने में मारा, वीरेन्द्र उर्फ विक्रम ने चाकू से दाहिने पूठ्ठे पर मारा, माखन ने चाकू से बाएं हाथ के पंजे पर मारा जिससे विशाल के दोनों पुट्ठो, दाहिने घुटने, दाहिने पुट्ठे के उफर कमर के पास तथा बाएं हाथ के पंजे पर चोट लगकर खून निकलने लगा तभी चारो जाते–जाते बोले कि महेश भाई, राहुल भाई और कान्हा भाई ने जितना कहा था उतना तेरा इलाज कर दिया है और आगे से अगर तुने उनसे मुंह चलाने की हिम्मत की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना देपालपुर द्वारा अपराध क्रमांक 292/2022 अंतर्गत धारा 294, 324, 326, 506, 120बी, 34 भा.द.वि. का आरोपीगण महेश, राहुल, कान्हा, छोटू उर्फ कृष्णा, अजय, माखन, विक्रम उर्फ वीरेन्द्र के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदकगण/आरोपीगण दिनांक 17.10.2022 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आक्षेपित आरोप मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। आरोपीगण को फरियादी विशाल के साथ मारपीट किए जाने का आक्षेप नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रकरण के गुण दोष पर टिप्पणी किए बगैर आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित

जमानत आवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा निम्न शर्तों के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर की संतुष्टि योग्य 50,000/–रूपए की सक्षम जमानत का मुचलका प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

–जमानत की शर्तें–

1–आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जावेगा।

2–आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा साक्षियों को प्रलोभित व प्रभावित नहीं किया जावेगा।

3–आवेदकगण/आरोपीगण अन्य अपराध में सम्मिलित नहीं होगा।

4–आवेदकगण/आरोपीगण न्यायालय की अनुमति के बगैर देश के बाहर नहीं जाएगा।

5–आवेदकगण/आरोपीगण उसके निवास स्थान का पता परिवर्तित होने की दशा में नवीन पते की सूचना अविलंब आरक्षी केन्द्र देपालपुर व विचारण न्यायालय को प्रदान करेंगा।

आवेदकगण/आरोपीगण के द्वारा जमानत आदेश की शर्तो का उल्लघन किये जाने पर जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

जेल प्राधीकारी उपजेल देपालपुर को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के संक्रमण मुक्त होने पर आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया जावे। अन्यथा कि दशा में संक्रमण मुक्त होने के उपरांत जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दायरा पंजी एवं सी0आई0एस0 में दर्जकर अभिलेखागार में संचित किया जावे।

(निलेश यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
देपालपुर जिला इंदौर म0प्र0

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
देपालपुर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)